कैम्प सचि०/वि०सु०अ०
–83
20·9·2002

उत्तर प्रदेश सरकार
उर्जा अनुभाग -३
संख्या-९९२ पी-३/२००२-२४-७६ई/८९
लखनऊ : दिनांक १८ सितम्बर,२००२

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विधमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अभियंत्रण (विद्युत सुरक्षा निदेशालय) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश अभियंत्रण (विद्युत सुरक्षा निदेशालय) सेवा नियमावली ,२००२

भाग -एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — १ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अभियंत्रण (विद्युत सुरक्षा निदेशालय) सेवा नियमावली ,२००२ कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति — २ उत्तर प्रदेश अभियंत्रण (विद्युत सुरक्षा निदेशालय) सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह "क" और समूह "ख" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं — ३ जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, १९९४ से है ,

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है ,

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ,

(घ) "आयोग "का तात्पर्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है ,

(ड) "संविधान "का तात्पर्य " भारत का संविधान" से है ,

(च) "सरकार "का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ,

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ,

(ज) "सेवा का सदस्य "का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ,

(झ) "नागरिको के अन्य पिछड़े वर्गो "का तात्पर्य समय समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची -एक में विनिर्दिष्ट नागरिको के पिछडे वर्गो से है,

(ञ) "सेवा " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अभियंत्रण "विद्युत सुरक्षा निदेशालय" सेवा से है,

(आर० पी० भास्कर)
प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

कार्य. सहा.
वि.सु.अ.

Scanned with OKEN Scanner

(ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमो के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न थे तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्य पालक अनुदेशों द्वारा यथासमय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो ।

(ढ) "भर्ती का वर्ष "का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग ४ (१)सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाये ।

(२) जब तक कि उप नियम (१) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है :-

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		योग
		स्थायी	अस्थायी	
१	निदेशक	१	--	१
२	संयुंक्त निदेशक	२	--	२
३	उप निदेशक	१३	४	१७
४	सहायक निदेशक	४०	२	४२

परन्तु --

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा , या

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते है , जिन्हें वह उचित समझें ,

भाग तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत ५ सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी --

१ निदेशक - मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों में जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा ।

२ संयुक्त निदेशक मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो,चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।

३ उप निदेशक - मौलिक रूप से नियुक्त सहायक निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में निदेशालय में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो , चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।

[illegible]

([illegible]

५ सहायक निदेशक – (1) ५१.६७ प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(2) ४० प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त विद्युत अवर अभियन्ता में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में, दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) ८.१/३ प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त विद्युत अवर अभियन्ता में से जो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि रखते हों या इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के विद्युत अभियन्त्रण के एसोशियेट मैम्बर हों और जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में, तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा :-

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरें जायेंगे।

आरक्षण ६ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय समय पर यथासंशोधित अधिनियम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, १९९३ के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग -४ अर्हतायें

राष्ट्रियता ७ सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी १९६२ के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले :

([illegible])

[illegible]

उत्तर प्रदेश शासन

Scanned with OKEN Scanner

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हता — ८ — सहायक निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि अवश्य प्राप्त की हो या इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया)के विद्युत अभियंन्त्रण का एसोशियेट मेम्बर अवश्य हो ।

अधिमानी — ९ — अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :-

(एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो , या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी " प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

आयु — १० — सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष को, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जायें पहली जुलाई को २१ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और ३५ वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के,जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाये , अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये ।

चरित्र — ११ — सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी : संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

([illegible])
[illegible]
[illegible] विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

Scanned with OKEN Scanner

वैवाहिक प्रास्थिति	१२	सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :- परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है ।
शारीरिक स्वस्थता	१३	किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी चिकित्सा परिषद् द्वारा कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ले : परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग पाँच - भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण	१४	नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम ६ के अधीन अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा । आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां उसको सूचित की जायेगी ।
सीधी भर्ती की प्रक्रिया	१५	(एक) - प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेगे । (दो)- किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो। (तीन)- लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम ६ के अधीन अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए , लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(आर० पी० म.[illegible])
प्रमुख सचिव,
[illegible] विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

(चार)- आयोग,अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता कम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे , संस्तुति करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर - बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

१६ पदोन्नति द्वारा भर्ती , अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये,ज्येष्ठता के आधार पर , समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग से चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, १९७० के अनुसार की जायेगी ।

चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

१७ एक - पदोन्नति द्वारा भर्ती समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली ,१९९४ में दिये गये मानदण्ड के आधार पर समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली,१९९२ के उपबंधों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।

टिप्पणी:- चयन समिति में अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम -निर्देशन समय समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा ७के अधीन दिये गये आदेशो के अनुसार किया जायेगा ।

दो - नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) पदोन्नति पात्रता सूची नियमावली,१९८६ के उपबंधो के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ ,जो उचित समझे जायें ,चयन समिति के समक्ष रखेगा।

तीन- चयन समिति उपनियम (२) में निर्दिष्ट- अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

चार- चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में ,जैसी उस सम्वर्ग में हो ,जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है , एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

संयुक्त चयन सूची

१८ यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो द्वारा की जाये तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे , सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

(आर० [illegible])
[illegible] सचिव,
[illegible] विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

भाग –छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थाईकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

१९ (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के साथ उसी क्रम में लेकर जिसमे वे यथास्थिति नियम १५,१६,१७ या १८ के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो द्वारा की जानी है, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम १८ के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाये। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाती है तो नाम नियम १८ में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायेगे।

परिवीक्षा

२० (१) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(२) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (३) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जांय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या स्थाई रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

(आर० [illegible])
[illegible],
[illegible] भाग
उत्तर प्रदेश शासन

स्थाईकरण

२१ (१) उपनियम (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा यदि ---

(क) - उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय , और
(ख) - उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2)जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवको की स्थायीकरण नियमावली,१९९१ के उपबंधों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम ५ के उपनियम (३) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।

ज्येष्ठता

२२ किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,१९९१ के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-सात -वेतन इत्यादि

वेतनमान

२३ (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्न प्रकार दिये गये है:-

पद का नाम	वेतनमान
१ निदेशक	१६४००-४५०-२०००० रूपये
२ संयुक्त निदेशक	१२०००-३७५-१६५०० रूपये
३ उप निदेशक	१००००-३२५-१५२०० रूपये
४ सहायक निदेशक	८०००-२७५-१३५०० रूपये

परिवीक्षा अवधि में वेतन

२४ (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी , परिवीक्षाधीन व्यक्ति को,यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो,विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो प्रशिक्षण जहां विहिति हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो ,परिवीक्षा अवधि में वेतन ,सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

(आर० [illegible]

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

भाग-८-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

२५ किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो, या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियग

२६ ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलिता

२७ जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हे वह मामले में न्यायसंगत और सीम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा ।

व्यावृत्ति

२८ इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

(आर० [illegible]
[illegible]
[illegible] भाग
[illegible] प्रदेश शासन

आज्ञा से,

(आर० बी० भास्कर)
प्रमुख सचिव

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठांकन संख्या– 192 (1)पी–3/2002–24–76ई/'89 तद्दिनांक :

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0, गोमती नगर, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अधिसूचना के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–1 (खण्ड–क) में प्रकाशित कर 500 प्रतियां ऊर्जा अनुभाग–3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर की प्रति संलग्न है।
3. कार्मिक विभाग/नियमावली कोष्ठक।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0के0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner